# कार्यवृत्त

**शहरी पथ विकेता योजना के अन्तर्गत टाउन वेंडिग कमेटी (टी0वी0सी0) की बैठक दिनांक 15/11/2022 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में नगर निगम सभागार में आहूत की गयी, जिसमें निम्न अधिकारी/कर्मचारियों/सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया**

| क0 सं0 | अधिकारी/कर्मचारी का नाम | पदनाम | विभाग व संस्था का नाम | मोबाईल नम्बर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अरूण कुमार यादव | अपर नगर आयुक्त | नगर निगम गाजियाबाद | |
| 2 | रामानन्द कुशवाहा | एस0पी0 ट्रेफिक | पुलिस | 9643322897 |
| 3 | विपिन कुमार | रिवेन्यू | राजस्व | 9125181737 |
| 4 | विवके जोशी | सहायक नगर आयुक्त | नगर निगम | 8178016857 |
| 5 | आनन्द त्रिपाठी | जल कल | नगर निगम | |
| 6 | डॉ0 संजीव सिन्हा | सी0टी0डी0ओ0 | नगर निगम | 8178016898 |
| 7 | सुनील कुमार राय | जोनल प्रभारी | कविनगर जोन | 7011649458 |
| 8 | राजवीर सिंह | जोनल प्रभारी | मोहननगर जोन | 8178016914 |
| 9 | राम शंकर | कर अधीक्षक सिटी | सिटी जोन | 8178016819 |
| 10 | रामबली पाल | जोनल प्रभारी | विजय नगर जोन | 8178018597 |
| 11 | राजीव शर्मा | पार्षद नवयुग मार्किट | नगर निगम | 9810741610 |
| 12 | राजेन्द्र त्यागी | पार्षद | नगर निगम | 9810074207 |
| 13 | नवनीत मित्तल | मैम्बर | सिटी वेण्डर जोन | 9811167330 |
| 14 | ओमप्रकाश ओड | सदस्य टी0वी0सी0 | पैंठ बाजार | 9213206691 |
| 15 | तेजपाल सिंह | सदस्य टी0वी0सी0 | साप्ताहिक पैंठ बाजार | 8512816437 |
| 16 | फुलचन्द यादव | सदस्य टी0वी0सी0 | डेलीवेज वेण्डर | 8920262121 |
| 17 | थान सिंह | सदस्य टी0वी0सी0 | साप्ताहिक बाजार | 8076582978 |
| 18 | कमल कुमार | सदस्य टी0वी0सी0 | गाजियाबाद | 8802757014 |
| 19 | सुमन | सदस्य टी0वी0सी0 | सदस्य टी0वी0सी0 | 9911517351 |
| 20 | हाकिम सिंह | सदस्य टी0वी0सी0 | शान्ती नगर गली न0 2 गाजियाबाद | 9810353619 |
| 21 | मौ0 अनीस | सदस्य टी0वी0सी0 | सदस्य टी0वी0सी0 | 9310668929 |
| 22 | प्रदीप शर्मा | सदस्य टी0वी0सी0 | नगर निगम गाजियाबाद | 7703804960 |
| 23 | अवनीश कुमार | अधिशासी अभियन्ता | वि0न0 वितरण खण्ड 3 गाजियाबाद | 9193320360 |
| 24 | रामकृष्ण गुप्ता | अवर अभियन्ता | आवास विभाग | 6390900039 |
| 25 | लोकेश कुमार | अवर अभियन्ता | लोक निर्माण विभाग गाजियाबाद | 8533094385 |
| 26 | राकेश | | | 8447346424 |
| 27 | जितेन्द्र कुमार | वेण्डर | खोखा पटरी | 9650545727 |
| 28 | बबीता | वेण्डर | | 7838873310 |
| 29 | श्याम सिंह | स0 अभियन्ता निर्माण | नगर निगम गाजियाबाद | 8178016820 |
| 30 | राजेन्द्र सिंह | अवर अभियन्ता (सिविल) | नगर निगम गाजियाबाद | 8178016904 |
| 31 | देशराज सिंह | अधिशासी अभियन्ता | नगर निगम गाजियाबाद | 8178016924 |

सर्वप्रथम अद्योहस्ताक्षरी द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों का परिचय प्राप्त किया गया।

**कार्यवाही–1–** बैठक में सर्वप्रथम अद्योहस्ताक्षरी द्वारा वसुन्धरा में हटाये गये खोकों के पथ विकेताओं को बैठक में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई जिससे कि सभी पथ विकेता अपनी समस्या अद्योहस्ताक्षरी के सम्मुख विस्तार से रख सकें एवं सभी टी0वी0सी0 सदस्यों से भी उनकी समस्याओं कों बैठक में रखने के लिए कहा गया।

बैठक में पार्षद श्री राजीव शर्मा द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व में वेण्डिंग जोन बनाये जाने हेतु 07 जगह को चिहिन्त की गई थी जिनमें से 04 नगर निगम, 02 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद एवं 01 आवास विकास परिषद् की जमीन पर बनाये जाने थे परन्तु किसी कारणवश 02 जी0डी0ए0 एवं 01 आवास विकास की जमीन पर बनाये जाने वाले वेण्डिंग जोन के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया तथा 04 नगर निगम गाजियाबाद जिनमें वसुन्धरा सैक्टर–15 वं 17, कन्या वैदिक गर्ल्स इण्टर कॉलिज, कम्प्यूटर मार्किट के पीछे नवयुग मार्किट गाजियाबाद एवं न्यू गाजियाबाद रेलवे स्टेशन फलाईओवर के नीचे बनाया जाना अनुमोदित किया गया। पार्षद राजीव शर्मा द्वारा यह भी बताया गया कि इसी दौरान डूडा गाजियाबाद द्वारा स्टार लाईफ को 250 पोल लगाये जाने का कार्य दिया गया। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा इसकी जांच करने का निर्देश अपर नगर आयुक्त एवं सी0टी0ए0ओ0 नगर निगम गाजियाबाद को दिया गया।

श्री राजेन्द्र त्यागी, पार्षद नगर निगम गाजियाबाद द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि जिस स्थान पर भी वेण्डिंग जोन बनाये जा रहे है वहां पर एन0जी0टी0 एवं अन्य द्वारा आपत्ति की जा रही है, इस सम्बन्ध में यह उचित होगा कि वेण्डिंग जोन बनाये जाने के पूर्व एन0जी0टी0 एवं अन्य सम्बन्धित संस्थाओं से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाये जिससे कि भविष्य में इस तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। बैठक में श्री राजेन्द्र त्यागी द्वारा एक्ट के अनुसार बैठक आहुत किये जाने का अनुरोध किया गया जिस पर अद्योहस्ताक्षरी द्वारा एक्ट के अनुसार तिमाही बैठक आयोजित किये जाने के निर्देश दिये गये तथा यह भी अवगत कराया गया कि एक्ट के अनुसार वार्ड की आबादी के अनुसार 2.5 प्रतिशत पथ विकेताओं के लिए वेण्डिंग जोन बनाये जा सकते है तथा यह भी बताया गया कि शहरी पथ विकेताओं को जारी आई0डी0 कार्ड एवं परिचय प्रमाण–पत्र मात्र यह दर्शाता है कि कार्ड धारक पथ विकेता है तथा किस समय, किस स्थान पर पथ विकेताओं द्वारा अपने समान का विकय किया जा सकता है न कि किसी भी स्थान का आवंटन दर्शाता है।

बैठक में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा सभी टी0वी0सी0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि आप भी इस बात का ध्यान रखें कि आपके क्षेत्र में बिना कार्ड/प्रमाण पत्र के कोई भी पथ विक्रेता कार्य न कर रहा हों।

**कार्यवाही–2–** बैठक में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा अवगत कराया गया कि वसुन्धरा सैक्टर–15 वं 17 में तत्कालीन नगर आयुक्त, नगर निगम गाजियाबाद एवं एन0जी0टी0 के आदेशों पर खोकें हटाये गये है। इन हटाये गये खोंकें के पथ विक्रेताओं को दूसरी जगह पुर्नस्थापित किये जाने के लिए सर्वे कराकर 04 स्थान चिहिन्त किये गये है जो निम्नानुसार है :–

01. बी0एच0ई0एल0 के पीछे सौर ऊर्जा मार्ग–गाजियाबाद।
02. झण्डापुर खसरा संख्या–164/2
03. कन्ट्रीइन होटल के पीछे नाले के किनारें
04. मकनपुर में खसरा संख्या–1544, 1545 इन्द्रापुरम

जिनमें से किसी एक स्थान पर इन पथ विक्रेताओं को पुर्नस्थापित किया जायेगा। इन स्थानों के सम्बन्ध में आवास विकास परिषद, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, एन0जी0टी0, विद्युत विभाग, फायर विभाग आदि से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर वेण्डिंग जोन की स्थापना की जायेगी तथा यह कार्य निकाय चुनाव आचार संहिता लागू किये जाने से पूर्व ही करने का प्रयास किया जायेगा। स्थान आवंटित किये जाने के पश्चात् पथ विक्रेताओं से नियमानुसार किराया लिया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में सभी उपस्थित पार्षदों एवं अन्य टी0वी0सी0 सदस्यों से सुझाव मांगें गयें। इस सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र त्यागी, पार्षद नगर निगम गाजियाबाद द्वारा सुझाव दिया गया कि वेण्डिंग जोन किसी बड़ी कॉलोनियों के बीच में ही तार बन्दी कराकर बनाया जाये जिससे कि पथ विक्रेता एवं कॉलोनी के निवासियों दोनो को सुविधा प्राप्त हो सके तथा इससे कॉलोनी के एक स्थान पर पथ विक्रेताओं के होने के कारण यातायात भी प्रभावित नही होगा।

**कार्यवाही–3–** बैठक में पार्षद श्री राजीव शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि वसुन्धरा सैक्टर 15 एवं 17 में 65 खोंकें नियमानुसार तत्कालीन नगर आयुक्त महोदय के आदेशों के कम में बनायी गई कमेटी के परीक्षण उपरान्त चयनित शहरी पथ विक्रेताओं को तत्कालीन नगर आयुक्त, मेयर महोदया एवं अन्य के द्वारा आवंटित किये गये थे जिन्हे बाद में नगर निगम गाजियाबाद द्वारा हटा दिया गया, जिनको जल्द से जल्द दूसरी जगह पुर्नस्थापित कराया जायें। इस सम्बन्ध में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा अवगत कराया गया कि पथ विक्रेताओं को पुर्नस्थापित किये जाने हेतु टी0वी0सी0 की बैठक आहुत की गई है। पर्नुस्थापित किये जाने के लिए 04 जगहों का सर्वे किया गया है जिसमें से किसी एक स्थान पर इन पथ विक्रेताओं को पुर्नस्थापित किया जायेगा जिसके सम्बन्ध में बैठक में उपस्थित समस्त टी0वी0सी0 सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

**कार्यवाही–4–** बैठक में श्री ओमप्रकाश, टी0वी0सी0 सदस्य एवं उपस्थित हटाये गये पथ विक्रेता द्वारा यह सुझाव दिया गया कि नगर निगम गाजियाबाद द्वारा वसुन्धरा में जिन शहरी पथ विक्रेताओं के खोकों को हटाया गया है, उन्हें वसुन्धरा में ही किसी अन्य स्थान पर स्थापित कराया जाये जिससे कि पथ विक्रेताओं को कोई असुविधा न हों। पथ विक्रेताओं के द्वारा खोकें के लिए लगभग रू0 130000.00 की धनराशि संस्था को दी गई है। जिस कारण से पथ विक्रेता वित्तीय रूप से परेशान है तथा उसके पास रोजगार का कोई साधन नही रह गया है। इस सम्बन्ध में पार्षद श्री राजीव शर्मा जी द्वारा कहा गया कि खोकें एन0जी0टी0 के आदेश पर हटाये गये है इन्हें नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात् स्थापित किया जायें, जिस पर अद्योहस्ताक्षरी द्वारा अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही पूर्व में ही प्रराम्भ हो चुकी है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा इस टी0वी0सी0 बैठक के माध्यम से पारित करवाना चाहते है कि जो भी अन्य स्थान चयनित हुए है उसमें प्रथम वसुन्धरा में हटाये गये पथ विक्रेताओं को ही वरियता के आधार पर अन्य चिहिन्त स्थान पर स्थापित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गई तथा अद्योहस्ताक्षरी द्वारा हटाये गये खोंकों के पथ विक्रेताओं के सत्यापन / परीक्षण हेतु एक कमेटी का गठित करने का निर्णय लिया गया जो यह निर्धारित करेगी कि हटाये गये पथ विक्रेताओं को वरीयता के आधार पर अन्य चिहिन्त स्थान पर स्थापित किया जाये तथा कमेटी अपनी रिर्पोट दो सप्ताह में अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेगी। कमेटी में निम्न सदस्य होगें :–

01. श्री अरूण कुमार यादव, अपर नगर आयुक्त,
02. सी0टी0ए0ओ0, नगर निगम गाजियाबाद।
03. जोनल प्रभारी, वसुन्धरा।
04. दो टी0वी0सी0 सदस्य।

अन्त में उपस्थित सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हुए बैठक का समापन किया गया।

नगर आयुक्त
नगर निगम गाजियाबाद।

**कार्यालय जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), गाजियाबाद।**

पत्रांक 4388/ डूडा–टी0वी0सी0 / कार्यवृत्त / गा0बाद / 2022–23 दिनांक 26/ 11 / 2022

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. *जिलाधिकारी गाजियाबाद।*
2. *अपर नगर आयुक्त नगर निगम गाजियाबाद।*
3. *सी0टी0ए0ओ0 नगर निगम गाजियाबाद।*
4. *मुख्य अभियन्ता, नगर निगम गाजियाबाद।*
5. *जी0एम0, जल, नगर निगम गाजियाबाद।*
6. *मुख्य पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी, नगर निगम गाजियाबाद।*
7. *समस्त जोनल अधिकारी, नगर निगम गाजियाबाद।*
8. *समस्त टी0वी0सी0 मेम्बर।*

नगर आयुक्त
नगर निगम गाजियाबाद।

# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक 986 / नगर नियो0 /2023 दिनांक 15/04/2023

सेवा में,

नगर आयुक्त
नगर निगम
गाजियाबाद।

**विषय : वैशाली, सै0–7 स्थित के0आर0 मंगलम स्कूल के पीछे व रामप्रस्थ ग्रीन सोसायटी के निकट सड़क के किनारे रिक्त पड़ी भूमि पर वैन्डिंग जोन बनाये जाने हेतु अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0–1844/न.आ./2022–23 दि0–13.03.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से नगर विकास के अधिसूचना दि0–10.05.2017 के अन्तर्गत वैशाली सै0–7 स्थित के0आर0 मंगलम स्कूल के पीछे व रामप्रस्थ ग्रीन सोसायटी के निकट सड़क के किनारे पथ विक्रेताओं हेतु वैन्डिंग जोन घोषित किये जाने के सम्बन्ध में अनापत्ति मांगी गयी है, जिसके साथ साईट चिन्हित कर संलग्न की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सन्दर्भित स्थल प्राधिकरण के नियोजित वैशाली योजना सै0–6 का पार्ट है, इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता जोन–6 द्वारा अपने पत्र दि0–15.04.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त वैशाली योजना दि0–31.03.2004 को नगर निगम को हस्तान्तरित भी की जा चुकी है। इस सन्दर्भ में प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति अपेक्षित नही है।

अतः उक्त प्रकरण में अपने स्तर से नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सी0पी0 त्रिपाठी)
मु0न0नि0/अपर सचिव

पृष्ठांकन सं0: / नियो0अनु0 /2023 दिनांक ................

प्रतिलिपिः

1. सचिव महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियन्ता को सूचनार्थ।

मु0न0नि0/अपर सचिव

वसुन्धरा
सेक्टर 15 व 16
से विस्थापित
वेंडरों हेतु

गाजियाबाद नगर निगम
वेन्डिंग जोन
वैशाली